## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 40/2020**

**जी.सी.एम.एस. : 2020/00357**

| **अपीलान्ट** | **बनाम** | **रेस्पोडेन्ट :–** |
|---|---|---|
| भैरूसिंह पुत्र भीमसिंह जाति रावत राजपूत निवासी कारवाड़ा, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली | | राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः–** 26/08/21

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1844/2020 सरकार बनाम भैरूसिंह में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का जोजावर ने अपीलाण्ट को ग्राम जोजावर के खसरा नम्बर 3968 रकबा 20 बाई 20 किस्म गै.मु. नाला की भूमि पर अवैध रूप से दुकान बनाकर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 1844/2020 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 08.06.2020 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलाण्ट उस दिवस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा पेमाईश कराने बाबत निवेदन किया एवं उक्त भूमि पर अपना 20 वर्ष पुराना कब्जा होने बाबत कथन किया, जिस पर न्यायालय ने अपीलाण्ट को यह कहते हुए वहां से भेज दिया कि पेमाईश कराने हेतु उसे सूचना दे दी जाएगी। लेकिन न्यायालय इसके पश्चात उसी दिवस अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए, उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 100/– रूपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है, जो हस्तगत प्रकरण में नहीं किया गया है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट को जब जैर अपील आदेश की जानकारी हुई तो उसने, जैर अपील आदेश की नकले प्राप्त कर अपील न्यायालय में पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी जोजावर ने इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे जैर अपील आदेश की जानकारी बाद में हुई तथा जानकारी होते ही उसने अपील न्यायालय में पेश कर दी। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाता है तथा अपील अपीलाण्ट का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना विधिसम्मत है। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम जोजावर में खसरा नम्बर 3968 रकबा 20 बाई 20 किस्म गै.मु. नाला पर पक्की दुकान बनाकर अतिक्रमण करने से उसके विरूद्ध सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई, उक्त शिकायत के आधार पर पटवारी हल्का जोजावर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध टी.पी. रिपोर्ट पेश की, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 1844/2020 दर्ज करते हुए दिनांक 08.06.2020 को अपीलाण्ट को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया, जो अपीलाण्ट स्वयं से तामील है, जिसकी ताईद मूल पत्रावली सलंग्न नोटिस से होती है। इसके पश्चात अपीलाण्ट नियत पेशी दिनांक 08.06.2020 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। इसके पश्चात तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 08.06.2020 को अपीलाण्ट के विरूद्ध अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश के साथ ही 100/- रूपये जुर्माना अधिरोपित करने बाबत निर्णय पारित किया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मातहत अदालत ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए, अपीलाण्ट को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसद देते हुए, निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के प्रकरण संख्या 1844/2020 अनवान सरकार बनाम भैरूसिंह में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2020 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति के साथ रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 26/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली